राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– प.11(32)(112)मो./ICDS/2015/127697-728 जयपुर, दिनांकः 29.9.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त। [डूँगरपुर के आनिश्चित]

विषयः–राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा पास उपलब्ध कराने हेतु।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक 118413–445 दिनांक 08.09.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपके जिले से अब तक राष्ट्रीय स्तर पर पुरूस्कृत कुल आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के नाम भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन उक्त सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के नाम विभागीय ई–मेल **jdm.wcd@rajasthan.gov.in** पर 03.10.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। उक्त दिनांक तक राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के नाम प्राप्त न होने की स्थिति में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा पास न बनने पर आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

प्रतिमा

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

120032
127729-760

क्रमांकः– प.11(32)(112)मो./ICDS/2015/ जयपुर, दिनांकः 29.9.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आगामी दो दिवस में उप–निदेशक कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. ACP मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

सहायक निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं